

IN THE COURT OF DEPUTY COMMISSIONER, LOHARDAGA
Schedule XIV From No- 562

ORDER SHEET

(See Rules 129 of the Record Manual 1941)

Order sheet dated To

Case No- 21/24-25

Nature of Case- Confiscation

U/S Rule 11(V) of the Jharkhand minirals (Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017,

The State of Jharkhand

V/s

Samim Ansari & Ors.

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर				आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित				
1.	2.				3.				
12/12/24	आदेश								
<p>यह Confiscation Case No- 21/24-25 राज्य सरकार बनाम 1. समीम अंसारी 2. सैफ अली अंसारी 3. मौसिम अंसारी 4. आशिष साहु 5. ललिता देवी में पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा के पत्रांक 1349 / अप0शा0 दिनांक 02.09.2024 एवं सेन्हा थाना काण्ड सं0 31 / 24 दिनांक 05.05.2024 के आलोक में धारा 379 / 411 भा0द0वि0 एवं 4 / 54 झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियम 4 / 21 खान एवं खनिज विकास तथा विनियमन -1957 में अग्रेतर वाद दायर कर निम्नांकित वाहन को राजसात करने हेतु वाद प्रारम्भ किया गया है।</p>									
वाहन की विवरणी									
क्र0	वाहन के प्रकार (मॉडल नं0)	वाहन सं0	चेचिस नंबर	इंजन नंबर	मालिक का नाम/पता				
01.	स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 834 XM	JH08H-2860	MBNAG48ACM TB71576	33.1008 / SDA00428,	समीम अंसारी, पे0-मो0 जहीर अंसारी, सा0-सेरेंगहातु, थाना सेन्हा एवं जिला-लोहरदगा।				
02.	महिन्द्रा ट्रैक्टर मॉडल 475 DI MKM DLX	JH08K-9336	MBNABAJAK PJD09384	RPD2KMA0886	सैफ अली अंसारी, पिता-शेख मुबारक,, सा0-सेरेंगहातु तोड़ार, थाना सेन्हा सेन्हा, एवं जिला-लोहरदगा।				
03.	मॉडल 275 Di	JH08J-6288	MBNAAADAP KRA03213	RKA2DBN3124	मौसिम अंसारी, पिता-पे0 स्व0 दुखुवा अंसारी, ग्राम-सेरेंगहातु, थाना सेन्हा जिला लोहरदगा।				
04.	महिन्द्र भुमि पत्र मॉडल 415 DI DLX	JH08G-4960	MBNAAAVAP JRB00971	RJB4YBA1150	आशिष साहु, पे0-संतन साहु सा0-चन्दकोपा, निगर्नी, थाना सेन्हा जिला लोहरदगा।				
05.	स्वराज ट्रैक्टर मॉडल 834 XM	JH08H-0451	MBNAG48AC LTL69975	33.1008 / SBL04345	ललिता देवी, पति यमुना प्रसाद गंझू, सा0-देवी मंडप, चन्दवा, थाना चन्दवा जिला लातहार।				
इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकरण W.P.(C)									

6788/2023, W.P.(C) 7531/2023 दायर किये गये थे।

मामले में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में दायर प्रकार संख्या W.P.(C) 6788/2023, में M/S Aditya Enterprises Proprietorship firm बनाम सरकार W.P.(C) 7531/2023, सरुन कुमार वो ललन कुमार इन्द्र Issues में उठाये गये मामले को स्वीकार कर लिया गया तथा इस प्रकार के मामले को दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश द्वारा Conanizance & confiscation, हेतु Judicial Magistrate first class को सक्षम माना गया है। तथा Rule 11(V) of the Jharkhand minirals(Prevention of illegal mining, Transportation And storage) Rule 2017, as ultra vires, any confiscation proceeding by the Deputy Commissioner of any District within the State of Jharkhand under the Rule is illegal and is without any authority of law and is beyond Jurisdiction घोषित किया गया है।

निर्णय

अतः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा W.P.(C) 6788/2023, एवं W.P.(C) 7531/2023, में दिनांक 22.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।